राजस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05

# Che Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 28]

नई दिल्ली, जुलाई 8-जुलाई 14, 2012, शनिवार/आषाढ़ 17-आषाढ़ 23, 1934

No. 28]

NEW DELHI, JULY 8—JULY 14, 2012; SATURDAY/ASADHA 17—ASADHA 23, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 167.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय में तकनीकी अधिकारी (मानीटरिंग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :---

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, तकनीकी अधिकारी (मानीटरिंग) (विरचना) नियम. 2012 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान,—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित. आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- ्ख) जिसने अपने पाते या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी त्र्याक्त से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

2366 GI/2012

(1021)

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपदा

प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. ट्यावृति,—इन नियमों में निहित कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के ट्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

		लेए उपबंध करना अ <sup>र</sup>	अनुसृ	<u>্</u> যা	
द का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
, , , ,				अचयन पद	लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी 1*(2012) साधारण अधिकारी *कार्यभार के सेवा, सम् (मानीटरिंग) आधार पर राजपत्रित		साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	ख', ₹9300— 34800		30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की उसकती है।  टिप्पण : आयु-सीमा के निर्धारण विलए निर्णायक तारीख, भारत विअध्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की ऑति तारीख तथा असम, मेघालय, अरुणाच प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्ञ के लद्दाख संभाग हिमाचल प्रदेश लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जि के पांगी उप-संभाग, अदमान और निकार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थि के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आर और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू हों या नहीं	
	(7)			(8)	(9)
गणित विषय (ii) सांख्डि	मान्यताप्राप्त विश्वविद् /सांख्यिकी/ऑपरेशन में मास्टर डिग्री;	ग्रालय से अर्थशास्त्र/वार् अनुसंधान में से किसी संकलन, प्रस्तुतीकरण अनुभव ।	ो एक	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

(7)

(ii) राहत/बाढ़/दुर्भिक्ष, राहत कार्यों से संबंधित मामलों को संभालने का अनुभव ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा अर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अईताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (11)

# प्रतिनियुक्ति ( आईएसटीसी )/आमेलन :-

- 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध सरकारी/साविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—
- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
  - (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 में वेतनमान ₹ 9300—34800 तथा ग्रेड वेतन ₹ 4600 या समतुल्य पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या
  - (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 में वेतनमान ₹ 9300—34800 तथा ग्रेड वेतन ₹ 4200 या समतुल्य पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अविध शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (आई एस टी सी) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन परों पर विस्तारित होगा

(11)जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना से परामर्श किया जाएगा (13)(12)समूह 'ख' विभागीय प्रोन्ति समिति (डी पी सी) (स्थायी किए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। किए जाने के संबंध में विचार करने के लिए):-।. निदेशक/उप-सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय -अध्यक्ष 2. निदेशक/उप-सचिव (कार्मिक), गृह मंत्रालय –सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय -सदस्य [फा. सं. ए-12018/1/2007-प्रशा. V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र में कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्यांक 48 द्वारा तारीख 25 दिसम्बर, 1989 को प्रकाशित किए गए थे।

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th July, 2012

- G.S.R. 167.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Monitoring) in the Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Technical Officer (Monitoring) (Framing) Rules, 2012.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
  - 4. Disqualifications.—No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for persons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Nome of	N .		SCHEDULE		
Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recrui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Officer (Monitoring)	*1 (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial	PB-2, ₹ 9300— 34800 (Grade Pay ₹ 4800)	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to 5 year's in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the Age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya, Arunacha Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahau and Spiti District and Pang Sub-Division of Chamba District of Himacha Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or
Educational and other qualifications required for lirect recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Master's Degree in Economics/Commerce/ Mathematics/Statistics/Operation Research from a recognized University;  ii) 3 years' experience in compilation, presentation and analysis of Statistical data.  Desirable:  i) Diploma of one year in Disaster Management from a recognised University or Institution.  ii) experience of handling matters connected with relief/flood/scarcity relief operations.  Iote 1: Qualifications are relaxable at the iscretion of the Union Public Service commission in the case of candidates otherwise rell qualified.  Iote 2: The Qualifications regarding experience			Not applicable		Two years for direct recruits
e relaxable at the	he discretion of t	the Union Public			

(7)

Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)

By Deputation (ISTC)/absorption, failing which by Direct Recruitment.

# Deputation (ISTC)/Absorption:-

Officers under the Central Government/State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings/Universities/Recognised Research Institutions/Semi Government/Statutory or Autonomous Organisations:—

(11)

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
  - (ii) with three years' regular service in posts in Pay Band-2, Scale of Pay of ₹9300—34800 plus Grade Pay of ₹4600; or
  - (iii) with six years' regular service in posts in Pay Band-2, Scale of Pay of ₹9300—34800 plus Grade Pay of ₹4200; and
- (b) possessing the educational qualifications and experiences prescribed for direct recruits under column 7.

Note 1: Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note 2: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (The date from which the revised pay structure based on 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' DPC (for confirmation)

1. Director/Deputy Secretary (Administration), MHA —Chairman

Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(7)

- 2. Director/Deputy Secretary (Pers-I), MHA
- -Member
- 3. Director/Deputy Secretary (Disaster Management), MHA
- -Member

[F. No. A-12018/1/2007-Ad. V

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification of the erstwhile Ministry of Agriculture and Cooperation, number G.S.R. 48 dated 25th December, 1989.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

**सा.का.नि. 168.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक (मानीटरिंग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक (मानीटरिंग) (विरचना) नियम, 2012 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान,—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति सं, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया हैं, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों में निहित कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी. जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों. भृतपूर्व सैनिकों. और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  सहायक 1*(2012) साधारण कंन्द्रीय वेतन बैंड-3, लागू नहीं 35 वर्ष से अधिक नहीं। निदेशक *कार्यभार के सेवा, समूह 'क', ₹ 15600— कंन्द्रीय सरकार द्वारा जारी (मानीटरिंग) आधार पर राजपत्रित, 39100 अथवा आदेशों के अनुसार सरका परिवर्तन किया अननुसचिवीय (ग्रेड वेतन के लिए पांच वर्ष तक शिथिल जा सकता है। ₹ 5400) सकती है।  िटप्पण : आयु सीमा के निष्				अनुसूची	
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  सहायक 1*(2012) साधारण कंन्द्रीय वेतन बैंड-3, लागू नहीं 35 वर्ष से अधिक नहीं।  निर्देशक *कार्यभार के सेवा, समूह 'क', ₹15600— कंन्द्रीय सरकार द्वारा जारी  (मानीटरिंग) आधार पर राजपत्रित, 39100 अथवा आदेशों के अनुसार सरका  परिवर्तन किया अननुसचिवीय (ग्रेड वेतन के लिए पांच वर्ष तक शिथिल  जा सकता है। ₹5400) सकती है।  िटप्पण : आयु सीमा के निष्		पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सीधे भर्ती किए जान वाले व्यक्तियों के लिए आय-मीमा
निर्देशक *कार्यभार के सेवा, समूह 'क', ₹15600— केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अथवा आदेशों के अनुसार सरका प्रात्त जा सकता है। ₹5400) अथन अथन अथन अथन के लिए पांच वर्ष तक शिथिल किया अननुसचिवीय (ग्रेड वेतन के लिए पांच वर्ष तक शिथिल सकती है। <b>टिप्पण</b> : आयु सीमा के निर्धित निर्णायक तारोख, भ					
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने ब तारीख तथा असम, मेघालय, अर	नदेशक	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	सेवा, समृह 'क', राजपत्रित,	₹ 15600— 39100 (ग्रेड वेतन	 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदंशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी संवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा